सं0—2963/उन्तीस/05—2 —(51पे0)/2004

प्रेषक

कुँवर सिंह,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़,अल्मोड़ा बागेश्वर, उधमसिंह नगर

पेयजल अनुभाग— देहरादून :दिनांक 18 फरवरी 2005

विषयः— चालू वित्तीय वर्ष 2004—05 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जनजाति उपक्षेत्र योजनान्तार्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान कार्यालय उत्तरांचल पेयजल निगम के पत्रांक 3585/धनावंटन प्रस्ताव/दिनांक 1.10.2004 एवं पत्रांक 4508/जनजाति योजना दिनांक 21.12.2004 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0—927 /उन्तीस/05—2 —(51पे0)/2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004—05 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति उपक्षेत्र योजना के अधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रू0— 82,71,000/—(रू0 बयासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित जनपदवार विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :—

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	परिव्यय	पूर्व में अवमुक्त राशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	उत्तरकाशी	12.00	5.00	6.80
2	टिहरी	28.20	20.00	6.38
3	देहरादून	130.30	67.00	56.79
4	पिथौरागढ़	20.00	15.00	5.00
5	अल्मोड़ा	14.24	10.00	4.24
6	बागेश्वर	5.00	3.00	2.00
7	उधमसिंह नगर	1.50	—	1.50
	योग	211.24	120.00	82.71

क्रमशः 2

2– स्वीकृत धनराशि से ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण सम्बन्धित जनपद के खण्ड अधिकारी(अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता) उत्तरांचल पेयजल निगम, के हस्ताक्षर एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल सम्बन्धित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा आहरण के सम्बन्ध में बिल वाउचर एवं दिनांक की सूचना आहरण के तुरन्त बाद शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। ।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी जो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित है और उक्त कार्य जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत ही हों।

4– व्यय उन्हीं योजनाओं पर किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5– इस धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी किस्त का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा ।

6– स्वीकृत धनराशि प्रथमतया 75 प्रतिशत तक पूर्ण कार्यों को पूर्ण करने पर तथा तदोपरान्त अन्य चालू कार्यों पर जिनमें एन0सी0/पी0सी0 बस्तियां प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित की गयी हों, पर ही व्यय की जायेगी किसी भी दशा में नये कार्य शासन की अनुमति के बिना प्रारम्भ न किये जाय इसके अतिरिक्त धनराशि का व्यय जिला योजनाओं में प्रस्तावित कार्यों पर ही किया जाय।

7– कराये जाने वाले कार्यों पर वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–87(1)/दस–97–17(4)/275 दिनांक 27.02.97 के अनुसार सैंटेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गयी धनराशि में सैंटेज के रूप में व्यय की गयी धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैंटेज चार्जेज 12.5 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगा । इसे कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर लिया जाय ।

8– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्ड बुक नियमों तथा स्थानयी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । ऐसी योजनाओं पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है अथवा जो विवादग्रस्त है ।

कमशः...3

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि को दिनांक 31.3.2005 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और उपयोग न होने की स्थिति मे दिनांक 31.3.05 तक अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी अन्यथा इसके लिये विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे ।

10- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

11- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुदान सं0-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति - आयोजनागत-796-ट्राइबल सब प्लान-91-ग्रामीण जलसम्पूर्ति कार्यक्रम (जिलायोजना)- 00 - 20-सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता" के नामे डाला जायेगा ।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-319 /वित्त अनु0-3/2005 दिनांक 11 फरवरी ,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या [illegible](1)/उन्नीस/05/2(51पे0)/2004,तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल,देहरादून।
2- आयुक्त गढ़वाल/कुमाँयू ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम,देहरादून ।
4- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून ।
5- कोषाधिकारी,उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून/पिथौरागढ़/अल्मोड़ा/बागेश्वर/ऊधमसिंह नगर
6- वित्त अनुभाग-3,/ वित्त बजट सेल/नियोजन अनुभाग/ समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।
7- नोडल अधिकारी(अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता) उत्तरांचल पेयजल निगम, सम्बन्धित जनपद ।
8- निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी/ मा0 पेयजल मंत्री जी ।
9- निदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तरांचल,देहरादून।
10- निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव